

## क्रेडिट कार्ड्स- सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें

सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी) को फेडरल बैंक लिमिटेड (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) के नियम और शर्तों (T&C) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिन्हें पूरी तरह से समझने के लिए आपने उनकी पुष्टि और स्वीकृति दी है। एमआईटीसी समय-समय पर बैंक के विवेकाधिकार पर परिवर्तन के अधीन हैं। ये परिवर्तन आपको बैंक में पंजीकृत आपके ईमेल-आईडी/फ़ोन नंबर पर ईमेल/एसएमएस के माध्यम से सूचित किए जाएंगे। सूचना के दिनांक से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर क्रेडिट कार्ड वापस न लेने पर इसे आपकी स्वीकृति/सहमति माना जाएगा। आप एमआईटीसी के नवीनतम संस्करण और अन्य प्रासंगिक विवरणों के लिए [www.federalbank.co.in](http://www.federalbank.co.in) भी देख सकते हैं।

यह पुष्टि की जाती है और स्वीकार किया जाता है कि क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना और/या 'सबमिट', 'मैं सहमत हूँ' या किसी अन्य समान टैब पर क्लिक करने का अर्थ आपके द्वारा इन एमआईटीसी को स्वीकार करना होगा।

इस एमआईटीसी में, 'आप', 'कार्ड सदस्य', 'कार्ड धारक' का संदर्भ उस व्यक्ति को दर्शाएगा जिसके नाम पर क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है।

### प्रभारों/करों की अनुसूची

शुल्क/कर	क्रेडिट कार्ड प्रकार / प्रभारों की अनुसूची			
	सिग्रेट	इम्पीरियो	सेलेस्टा	वेव कार्ड
ब्याज रहित अवधि	48 दिनों तक	48 दिनों तक	48 दिनों तक	48 दिनों तक
न्यूनतम पुनर्भुगतान राशि / न्यूनतम देय राशि	5% या न्यूनतम रु. 100/-	5% या न्यूनतम रु. 100/-	5% या न्यूनतम रु. 100/-	5% या न्यूनतम रु. 100/-
नकद एडवांस सीमा	10%	20%	25%	प्राथमिक कार्ड संस्करण के लिए लागू नकद अग्रिम सीमा।
ज्वाइनिंग फीस	रु. 750/-*	रु. 1500/-*	रु. 3000/-*	शून्य (वर्चुअल कार्ड के लिए) 199/- रुपये (यदि भौतिक कार्ड का विकल्प चुना गया है)
*उपरोक्त शर्त 03 अप्रैल 2023 से प्रभावी ग्राहकों के लिए लागू नहीं है।				

<p>वार्षिक सदस्यता फीस</p> <p>*उपरोक्त शर्त 03 अप्रैल 2023 से प्रभावी ग्राहकों के लिए लागू नहीं है।</p>	रु. 750/-*	रु. 1500/-*	रु. 3000/-*	रु. 199/-
<p>ज्वाइनिंग फीस माफी के लिए खर्च की शर्त</p> <p>Above condition is not applicable for customers onboarded with effect from 03rd April 2023 as no joining fee is charged.</p> <p>*उपरोक्त शर्त 03 अप्रैल 2023 से प्रभावी ग्राहकों के लिए लागू नहीं है क्योंकि इसके लिए कोई जॉइनिंग शुल्क नहीं लिया गया है।</p>	<p>पहले 3 महीनों के भीतर 10,000/- से अधिक खर्च करें और पहले वर्ष के लिए रु.750 के ज्वाइनिंग शुल्क की माफी पाएँ।</p>	<p>पहले 3 महीनों के भीतर 20,000/- से अधिक खर्च करें और पहले वर्ष के लिए रु.1500 के ज्वाइनिंग शुल्क की माफी पाएँ।</p>	<p>पहले 3 महीनों के भीतर 30,000/- से अधिक खर्च करें और पहले वर्ष के लिए रु.3000 के ज्वाइनिंग शुल्क की माफी पाएँ।</p>	शून्य
<p>वार्षिक सदस्यता शुल्क में छूट हेतु खर्च की शर्त। (नकद निकासी लेनदेन को बाहर रखा गया है)</p> <p>उपरोक्त शर्त 03 अप्रैल 2023 से प्रभावी ग्राहकों के लिए लागू नहीं है,</p>	<p>चालू वर्ष में रु.75,000/- खर्च करें और अगले वर्ष की वार्षिक सदस्यता शुल्क पर छूट प्राप्त करें।</p>	<p>चालू वर्ष में रु.1,50,000/- खर्च करें और अगले वर्ष की वार्षिक सदस्यता शुल्क पर छूट प्राप्त करें।</p>	<p>चालू वर्ष में रु.3,00,000/- खर्च करें और अगले वर्ष की वार्षिक सदस्यता शुल्क पर छूट प्राप्त करें।</p>	शून्य

क्योंकि कोई एएमसी शुल्क नहीं लिया जाता है				
अतिरिक्त कार्ड फीस	अधिकतम 4 कार्ड (रु. 100/- प्रति कार्ड)	अधिकतम 4 कार्ड (रु. 100/- प्रति कार्ड)	अधिकतम 4 कार्ड (रु. 100/- प्रति कार्ड)	शून्य
Cash Advance Fee नकद एडवांस शुल्क	निकासी की राशि का 2.5% या रु.500 जो भी उच्चतर हो	निकासी की राशि का 2.5% या रु.500 जो भी उच्चतर हो	निकासी की राशि का 2.5% या रु.500 जो भी उच्चतर हो	निकासी की राशि का 2.5% या रु.500 जो भी उच्चतर हो
नकद भुगतान के लिए शुल्क	रु. 100/-	रु. 100/-	रु. 100/-	रु. 100/-
विदेशी मुद्रा मार्कअप फीस	<b>3.5%</b>	<b>3.5%</b>	<b>2%</b>	<b>3.5%</b>
डायनामिक करेंसी कन्वर्ज़न फीस	<b>3.5%</b>	<b>3.5%</b>	<b>2%</b>	<b>3.5%</b>
<p>नियम व शर्तें:</p> <p>(1). डीसीसी केवल तभी लागू होगा जब इंटरनेशनल लेनदेन किया जाता है और मर्चेंट आउटलेट, एटीएम या शाखा का स्थान भारत से बाहर होता है, फिर चाहे लेनदेन के समय कार्डधारक का स्थान चाहे कहीं भी हो.</p> <p>(2) मर्चेंट/ एटीएम/ शाखा द्वारा लेनदेन की प्रक्रिया करने से पूर्व कार्डधारक के पास डीसीसी को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होगा और कार्डधारक डीसीसी विकल्प पर सक्रियता से चुनाव कर सकेगा.</p> <p>(3) कार्डधारक प्रकटीकरण की जानकारी को स्वीकार करने की पुष्टि करने के बाद डीसीसी के लिए सहमति प्रदान करेगा जिसमें शामिल हैं (i) करेंसी कोड के साथ मर्चेंट की स्थानीय मुद्रा में प्रदर्शित वस्तुओं या सेवाओं की राशि (कर सहित) (ii) एक्सचेंज रेट/मार्क अप (iii) डीसीसी करेंसी में कुल लेनदेन की राशि (iv) कार्डधारक के समक्ष प्रकट की गई प्रदत्त डीसीसी लेनदेन राशि का करेंसी सिंबॉल कोड.</p> <p>(4) डीसीसी लेनदेन की पूर्णता पर, कार्डधारक को मर्चेंट/ एटीएम/ शाखा, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा लेनदेन रसीद जारी की जाएगी जिसमें लेनदेन की मुद्रा, लेनदेन की राशि, लेनदेन शुल्क इत्यादि का विवरण होगा, लेकिन जो यहीं तक सीमित नहीं है.</p>				

रिवॉल्विंग क्रेडिट पर ब्याज (एपीआर-वार्षिक प्रतिशत दर)

पिछली तिमाही के लिए औसत मासिक शेष	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर%)
50,000* रुपये से कम	45.00% (3.75% प्रति माह)
रु. 50,000 - 3,00,000	32.28% (2.69% प्रति माह)
रु. 3,00,001 - 10,00,000	20.28% (1.69% प्रति माह)
10,00,000 रुपये से अधिक	8.28% (0.69% प्रति माह)

**\* परिवर्तन 20 अगस्त 2024 से लागू होंगे**

एएमबी- फेडरल बैंक में रखे गए ऑपरेटिव खाते में औसत मासिक शेष यानी किसी दिए गए महीने में सभी समापन दिवस शेष का औसत. एएमबी की गणना करने के लिए, आपको प्रत्येक दिन के अंतिम शेष को जोड़ना होगा और इसे उस महीने के दिनों की संख्या से विभाजित करना होगा. किसी तिमाही के लिए एएमबी उस तिमाही के 3 महीनों में बनाए गए एएमबी का औसत होगा. एपीआर प्रत्येक कैलेंडर तिमाही की शुरुआत की 10 तारीख को अद्यतन किया जाएगा.

तिमाही को जनवरी, फरवरी और मार्च को तिमाही 1 के रूप में परिभाषित किया गया है; तिमाही 2 के रूप में अप्रैल, मई और जून; जुलाई, अगस्त और सितंबर को तिमाही 3 और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को तिमाही 4 माना जाएगा. तिमाही 2 के लिए एपीआर पर तिमाही 1 के औसत मासिक शेष के आधार पर विचार किया जाएगा. उदाहरण के लिए- 1 जनवरी-31 मार्च के लिए एएमबी 1 अप्रैल-30 जून की तिमाही के लिए लागू होगा. 1 अप्रैल से 30 जून की तिमाही की एपीआर (वार्षिक प्रतिशत दर) 10 जुलाई को अद्यतन की जाएगी.

उदाहरण:

1 जनवरी को ऑपरेटिव अकाउंट में बैलेंस रु.50,000 है.

12 जनवरी को रु. 4,000 की निकासी होती है. ईओडी बैलेंस रु.46,000 है.

18 जनवरी को रु.20,000 जमा होते हैं. ईओडी बैलेंस रु.66,000 है.

ईओडी शेष राशि का योग: 11 दिनों के लिए - 1 जनवरी से 12 जनवरी तक - ईओडी शेष राशि का योग रु (50000\*11) = रु 5,50,000 होगा

12 जनवरी से 18 जनवरी तक, ईओडी शेष राशि रुपये (46,000\*6) = रु.2,76,000

	<p>होगी</p> <p>18 जनवरी से 31 जनवरी तक ईओडी बैलेंस का योग रु.(66,000*13) = रु.8,58,000 होगा।</p> <p>सभी ईओडी समापन शेष का योग = रु.16,84,000</p> <p>जनवरी में दिनों की कुल संख्या = 31</p> <p>तो, औसत मासिक शेष 1684000/31 यानी रु.54,322.58 होगा</p> <p>इसी तरह फरवरी और मार्च के लिए औसत मासिक बैलेंस रु. 70,000 और रु. क्रमशः 95,000/- है तो तिमाही के लिए एएमबी होगा (54,322.58 + 70,000 + 95,000)/3 यानी 2,19,322.58/3 = रु. 73,107.52 जो रुपये 50,000- 3,00,000 के बीच है.</p> <p>इसलिए, ग्राहक को अगली तिमाही के लिए 32.28% यानी 2.69% प्रति माह की पेशकश की जाएगी.</p> <p>जो ग्राहक फेडरल बैंक में सक्रिय खाता नहीं रखते हैं, उनसे प्रति माह 45.00% यानी 3.75% एपीआर शुल्क लिया जाएगा.</p>												
<p>विलंब भुगतान शुल्क (रु.)*</p>	<table border="1" data-bbox="475 985 1198 1326"> <thead> <tr> <th>कुल देय राशि (रु.)</th> <th>शुल्क (रु.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>रु. 0 - 250</td> <td>रु. 0</td> </tr> <tr> <td>रु. 251 - 1000</td> <td>रु. 250</td> </tr> <tr> <td>रु. 1001 - 5000</td> <td>रु. 500</td> </tr> <tr> <td>रु. 5001 - 25000</td> <td>रु. 1,000</td> </tr> <tr> <td>रु. 25001 &amp; above</td> <td>रु. 1,250</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>*परिवर्तन 20 अगस्त 2024 से लागू होंगे</b></p>	कुल देय राशि (रु.)	शुल्क (रु.)	रु. 0 - 250	रु. 0	रु. 251 - 1000	रु. 250	रु. 1001 - 5000	रु. 500	रु. 5001 - 25000	रु. 1,000	रु. 25001 & above	रु. 1,250
कुल देय राशि (रु.)	शुल्क (रु.)												
रु. 0 - 250	रु. 0												
रु. 251 - 1000	रु. 250												
रु. 1001 - 5000	रु. 500												
रु. 5001 - 25000	रु. 1,000												
रु. 25001 & above	रु. 1,250												
<p>ओवरलिमिट शुल्क (केवल पात्र ग्राहकों के लिए)</p>	<p>ओवर-लिमिट राशि का 2.5%, न्यूनतम रु. 500/- के अधीन.</p>												
<p>चेक रिटर्न या अनादर या ऑटो-डेबिट रिवर्सल</p>	<p>भुगतान राशि का 2% न्यूनतम रु. 450/- के अधीन</p>												
<p>रिवॉईस रिडेम्पशन शुल्क</p>	<p>रु.99/- प्रति रिडेम्पशन निवेदन</p>												
<p>किराये का भुगतान</p>	<p>1 अप्रैल 2023 से, किराये के लेनदेन पर लागू करों के साथ कुल लेनदेन राशि का 1% शुल्क लगाया जाएगा.</p>												
<p>वॉलेट लोडिंग शुल्क</p>	<p>वॉलेट लोड लेनदेन पर लागू करों के साथ लेनदेन राशि का 1% शुल्क लगाया</p>												

	जाएगा.
ईंधन लेनदेन अधिभार छूट	इम्पीरियो और सेलेस्टा श्रेणी के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर प्रति बिलिंग चक्र रु. 400/- से रु. 5000/- तक के खर्च पर 1% सरचार्ज की माफी रु. 150/- तक.
खोए, चोरी हुए या क्षतिग्रस्त कार्ड को पुनःजारी करना	रु.200/-
आउटस्टेशन चेक प्रक्रिया शुल्क	5,000 रुपये तक के चेक का मूल्य - शुल्क 25/- रुपये होगा 5,000 रुपये से अधिक मूल्य का चेक - शुल्क 50/- रुपये होगा
रु.1 करोड़ से अधिक की निकासियों पर टीडीएस	1 जुलाई 2020 से प्रभावी तौर पर, एक वित्तीय वर्ष में खातों और कार्डों से रु.1 करोड़ से अधिक की कुल नकद निकासी पर 2% की दर से टीडीएस लागू होगा. जिन लोगों ने पिछले तीन वर्षों में से किसी में भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनके लिए रु.20 लाख से अधिक की कुल नकद निकासी पर 2% की दर से टीडीएस लागेगा और रु.1 करोड़ से अधिक की कुल निकासी पर 5% की दर से टीडीएस लागेगा. वेव क्रेडिट कार्ड पर टीडीएस लागू नहीं है.
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सभी शुल्कों, ब्याज और अन्य शुल्कों पर भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों पर लागू होगा.  लागू जीएसटी आपूर्तिकर्ता के स्थान (क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता यानी फेडरल बैंक) और आपूर्ति के स्थान पर निर्भर होगा. यदि आपूर्ति का स्थान (ग्राहक पत्राचार का पता) केरल में है, तो यह सीजीएसटी और एसजीएसटी (इंट्रा स्टेट) होगा, अन्यथा आईजीएसटी (इंट्रा स्टेट) होगा. सिस्टम में ग्राहक के पंजीकृत डाक पते की अनुपलब्धता के मामले में, इंट्रा स्टेट जीएसटी दरें लगाई जाएंगी.  कार्ड धारक क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को उचित जीएसटी अनुपालन करने में सक्षम बनाने के लिए सही और समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जो बदले में कार्ड धारक को क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता द्वारा की गई आपूर्ति (क्रेडिट कार्ड सेवा) का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में सक्षम करेगा। क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता कार्ड धारक द्वारा प्रदान की गई गलत जानकारी के कारण या कार्ड धारक द्वारा किसी कृत्य या चूक के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट की हानि या कार्ड धारक को इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.  <b>शुल्क और प्रभार/ब्याज या किसी अन्य रियायत/छूट पर कोई विवाद होने पर संग्रहित जीएसटी को वापस नहीं किया जाएगा.</b>
लोन प्रक्रिया पूर्व-समापन प्रभार	क्रेडिट कार्ड ईएमआई सुविधा का मोड: मर्चेन्ट आउटलेट (पीओएस मशीन), ऑनलाइन लेनदेन और फेड मोबाइल/फेड नेट और संपर्क केंद्र के माध्यम से लेनदेन के पश्चात के समय:  लेनदेन राशि पर 1% या रु.99, जो भी अधिक हो, + लागू दरों पर जीएसटी देय होगा.  यदि ईएमआई अवधि पूरी होने से पहले क्रेडिट कार्ड ईएमआई बंद कर दी जाती है, तो शेष मूल राशि पर 3% + जीएसटी + लागू दरों पर जीएसटी का फोरक्लोज़र शुल्क लिया जाएगा. फिर भी, पीओएस के माध्यम से ईएमआई सुविधा वर्चुअल प्रारूप में किसी भी कार्ड के लिए लागू नहीं है.

पूर्व-समापन करने के लिए ध्यान देने योग्य बातें:

1. कार्डधारक ईएमआई बुकिंग की तिथि से 7 कार्यदिवसों के भीतर संपर्क केंद्र पर कॉल करके ईएमआई सुविधा रद्द कर सकता है. रद्दीकरण की स्थिति में, मूल लेनदेन राशि, जिसे ईएमआई में परिवर्तित किया गया था, ग्राहक के खाते से वापस डेबिट कर दी जाएगी और ऐसे ईएमआई रूपांतरण से संबंधित सभी शुल्क वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन केवल तभी जब कार्डधारक ने ईएमआई बुकिंग की तिथि से 7 दिनों के भीतर कॉल किया हो.
2. यदि कार्डधारक ईएमआई बुकिंग की तारीख से 7 कार्यदिवसों के बाद कॉन्टैक्ट सेंटर पर कॉल करता है, तो ऐसे मामलों में ईएमआई रद्द की जा सकती है, लेकिन संबंधित शुल्क वापस नहीं किए जाएंगे.
3. यदि बुक की गई ईएमआई का विवरण दिया गया है, तो ऐसे मामलों में पीएफ/पूर्व समापन/कोई अन्य लागू शुल्क वापस किया जा सकता है, बशर्ते वह ईएमआई के 7 कार्यदिवसों के भीतर हो.
4. प्रति कार्डधारक प्रति तिमाही केवल 1 ईएमआई लेनदेन के लिए सभी शुल्कों की वापसी (7 कार्यदिवसों के भीतर) के साथ पूर्व समापन की अनुमति है.

आरबीआई के आदेश के अनुसार, आपके क्रेडिट कार्ड से किए गए लेन-देन के स्वरूप और उद्देश्य के आधार पर, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे एफसीआरए खातों के माध्यम से क्रेडिट कार्ड से कोई भुगतान न करें. यदि इन खातों के माध्यम से कोई भुगतान पाया जाता है, तो ग्राहक को गृह मंत्रालय से एक नोटिस प्राप्त हो सकता है जिसमें ऐसे भुगतानों के लिए स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है.

ध्यान दें: शुल्कों में परिवर्तन केवल संभावित प्रभाव से ही किए जाएंगे, जिसकी सूचना ईमेल/एसएमएस के माध्यम से कम से कम एक महीने पहले दी जाएगी. यदि कार्डधारक शुल्कों में किसी भी ऐसे परिवर्तन के कारण अपना कार्ड सरेंडर करना चाहता है जिससे उसे कोई नुकसान न हो, तो उसे ऐसा करने की अनुमति होगी, बशर्ते कार्डधारक द्वारा सभी बकाया राशि का भुगतान किया जाए.

### 1) फीस और प्रभार

- A. **कार्ड सदस्य द्वारा क्रेडिट कार्ड पर देय शुल्क:** प्रत्येक कार्ड सदस्य के लिए कार्ड के प्रकार, ऑफ़र (यदि कोई हो) आदि के आधार पर शुल्क अलग-अलग हो सकता है. क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय इसकी सूचना कार्ड सदस्य को दी जाती है. उपरोक्त शुल्क, जैसा लागू हो, कार्ड खाते में बिल किया जाता है और उस महीने के कार्ड विवरण में बताया जाता है जिसमें यह लिया गया है.

**B. नकद अग्रिम शुल्क (वेव क्रेडिट कार्ड के लिए लागू नहीं):** कार्ड सदस्य भारत या विदेश में एटीएम से आपातकालीन स्थिति में नकदी प्राप्त करने के लिए कार्ड का उपयोग कर सकता है. निकाली गई राशि पर 2.5% का लेनदेन शुल्क लगाया जाएगा, जो न्यूनतम शुल्क रु. 500/- के अधीन होगा और अगले विवरण में कार्ड सदस्य को बिल किया जाएगा. लेनदेन शुल्क फेडरल बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन है. सभी नकद अग्रिमों पर निकासी की तारीख से फेडरल बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन होने तक रिवाँल्विंग क्रेडिट पर शुल्क के बराबर वित्त शुल्क भी लगता है (कृपया ऊपर वर्णित शुल्कों की अनुसूची देखें). बैंक की नीति के अनुसार, फेडरल क्रेडिट कार्ड के लिए नकद निकासी की सुविधा वर्तमान में केवल चुनिंदा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है.

**C. शुल्क:**

- i. प्रभार और शुल्क, जो समय-समय पर लागू हो सकते हैं, कार्ड सदस्यों द्वारा बैंक द्वारा कार्ड सदस्य को प्रदान किए गए विशिष्ट शुल्कों के लिए या कार्ड सदस्य द्वारा अपने कार्ड खाते के संदर्भ में की गई चूक के लिए देय होते हैं.
- ii. बैंक ग्राहक को उचित सूचना देकर समय-समय पर किसी भी प्रभार या शुल्क में बदलाव करने या कोई नया प्रभार या शुल्क लागू करने का अधिकार रखता है, जैसा वह उचित समझे। क्रेडिट कार्ड पर ऋण पर ब्याज दरों, प्री-क्लोजर और निरस्तीकरण शुल्क के लिए कृपया देखें: <https://www.federalbank.co.in/>
- iii. डिफॉल्ट के मामले में, ब्याज शुल्क अधिकतम 3.75% प्रति माह (45.00% प्रति वर्ष) तक बढ़ सकता है.

**D. ब्याज मुक्त अवधि:** क्रेडिट कार्ड पर लागू स्कीम और व्यापारी द्वारा दावा प्रस्तुत करने के अधीन ब्याज मुक्त क्रेडिट अवधि 48 दिनों तक हो सकती है. 15 जनवरी, 2021 से 14 फरवरी, 2021 तक की अवधि के लिए भुगतान की देय तिथि 2 मार्च, 2021 होगी. यह मानते हुए कि आपने भुगतान की देय तिथि तक पिछले महीने के विवरण की कुल देय राशि का भुगतान कर दिया है, ग्रेस अवधि होगी:

- i) 16 जनवरी, 2021 की खरीदारी के लिए, ब्याज मुक्त छूट अवधि 16 जनवरी, 2021 से 2 मार्च, 2021 तक यानी 46 दिन है.
- ii) 14 फरवरी, 2021 की खरीदारी के लिए, ब्याज मुक्त ग्रेस अवधि 14 फरवरी, 2021 से 2 मार्च, 2021 तक यानी 17 दिन है

इस प्रकार, ग्रेस अवधि खरीदारी की तारीख के आधार पर भिन्न हो सकती है. यह अवधि केवल तभी ब्याज मुक्त होगी जब पिछले सभी बकाया राशियों का पूरा भुगतान कर दिया जाए और पिछले महीनों से कोई बकाया राशि आगे नहीं लाई गई हो. हालांकि, यदि भुगतान की नियत तारीख तक कुल देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कोई ब्याज मुक्त अवधि नहीं होगी. नकद अग्रिमों के लिए, लेनदेन की तारीख से भुगतान की तारीख तक ब्याज लिया जाता है.

**iii) देर से भुगतान प्रभार (एलपीसी):**

यदि भुगतान की नियत तारीख तक न्यूनतम देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो विलंब भुगतान शुल्क लागू होगा. नीचे दिए गए उदाहरण-1 में कम से कम न्यूनतम देय राशि यानी 500 का भुगतान, भुगतान की नियत तारीख (2 फरवरी मानी गई) तक किया जाना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई विलंब भुगतान शुल्क नहीं लगाया जाएगा. यदि न्यूनतम देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो नीचे दी गई तालिका के अनुसार विलंबित भुगतान शुल्क लगाया जाएगा:

कुल देय राशि (रु.) *	शुल्क (रु.)*
रु.0 - 250	रु. 0
रु.251 - 1000	रु. 250
रु.1001 - 5000	रु. 500
रु.5001 - 25000	रु. 1,000
रु. 25001 और अधिक	रु. 1,250

इस प्रकार, नीचे दिए गए उदाहरण-1 में, चूंकि न्यूनतम देय राशि रु. 500/- का भुगतान देय तिथि 2 फरवरी, 2021 तक नहीं किया गया है और चूंकि कुल देय राशि रु. 10,000/- थी तो 5 फरवरी, 2021 को रु.600/- का विलंबित भुगतान शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क तब भी लागू होगा यदि आप भुगतान की नियत तारीख तक न्यूनतम देय राशि से कम भुगतान करते हैं।

वॉलेट लोडिंग शुल्क: 1 मई 2024 से, वॉलेट लोड लेनदेन पर लागू करों के साथ लेनदेन राशि का 1% शुल्क लगाया जाएगा।

**iv) फायनांस शुल्क /ब्याज शुल्क:**

- i. कार्ड सदस्य द्वारा अपनी शेष राशि का पूरा भुगतान न करने की स्थिति में लेनदेन की तारीख से सभी लेनदेन पर मासिक प्रतिशत दर पर ब्याज शुल्क का भुगतान किया जाता है, और कार्ड सदस्य द्वारा लिए गए सभी नकद अग्रिमों पर, उनकी चुकौती नहीं किए जाने तक ब्याज शुल्क, यदि देय हो, कार्ड सदस्य के खाते से डेबिट किया जाता है, जब तक कि कार्ड पर बकाया राशि का पूरा भुगतान न हो जाय।
- ii. जब ग्राहक किसी बकाया राशि को आगे बढ़ाता है या नकद अग्रिम प्राप्त करता है, तो औसत दैनिक शेष राशि पद्धति द्वारा गणना किया गया वित्त शुल्क आगे की शेष राशि और नए बिलों पर लागू होगा।
- iii. यदि कोई कार्ड धारक फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड की रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाता है और इसलिए मासिक बिलिंग विवरण में दिखाई गई कुल राशि से कम राशि का भुगतान चुनता है, तो पूरी बकाया राशि पर ब्याज शुल्क लगेगा और सभी नए लेनदेन पर भी ब्याज लगेगा। ब्याज शुल्क तब तक लगेगा जब तक कि पिछली बकाया राशि पूरी तरह चुका न दी जाए। रिवॉल्विंग क्रेडिट एक प्रकार का क्रेडिट है जिसमें किस्त क्रेडिट के विपरीत, भुगतान की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है।
- iv. निम्नलिखित उदाहरण ब्याज शुल्क की गणना करने की विधि का संकेत करेगा: नीचे दी गई तालिका में, यह माना गया है कि पिछले महीने के विवरण की कुल देय राशि का भुगतान देय तिथि तक कर दिया गया है और कोई बकाया राशि नहीं है। स्टेटमेंट की तारीख हर महीने की 15 तारीख है। इन मान्यताओं को देखते हुए, ब्याज की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

**उदाहरण-1**

विवरण	राशि(₹.)
14 जनवरी, 2021 को खरीदारी	10,000
दिनांक 15 जनवरी, 2021 के विवरण पर कुल देय राशि	10,000
दिनांक 15 जनवरी, 2021 के विवरण पर न्यूनतम देय राशि(5%)	500
भुगतान की नियत तिथि - 2 फरवरी, 2021	
10 फरवरी, 2021 को खरीदारी	4,000
भुगतान 13 फरवरी, 2021 को प्राप्त हुआ	7,500
ब्याज गणना @ 3.75 (15 फरवरी के विवरण में लगाया गया कुल ब्याज)	
ए) 30 दिनों के लिए रुपये 10,000 पर ब्याज (14 जनवरी से 12 फरवरी तक)	375
बी) 3 दिनों के लिए रुपये 2500 पर ब्याज. (13 फरवरी से 15 फरवरी तक)	9.38
सी) 6 दिनों के लिए रुपये 4000 पर ब्याज. (10 फरवरी से 15 फरवरी तक)	30.00
डी) विलंबित भुगतान शुल्क 05 फरवरी 2021 को डेबिट किया गया	1000
ई) ब्याज शुल्क और विलंब भुगतान शुल्क पर जीएसटी लागू होगा	254.5
एफ) 15 फरवरी को देय कुल शुल्क (ए+बी+सी+डी+ई)	1668.88
देय तिथि 3 मार्च 2021 को देय कुल राशि (मूलधन ₹. 6500 + कुल देय शुल्क (एफ))	8168.88

## 2) मर्यादाएं:

क्रेडिट सीमा और नकद निकासी सीमा के बारे में कार्ड की डिलीवरी के समय सूचित किया जाता है और मासिक विवरण में भी यह दर्शाया जाता है. उपलब्ध क्रेडिट सीमा की गणना कुल क्रेडिट सीमा से उपयोग की गई सीमा को घटाकर की जाती है. यदि कार्ड सदस्य ने कार्ड पर क्रेडिट सीमा के भीतर कोई लोन लिया है, तो उपलब्ध क्रेडिट सीमा तक पहुंचने के लिए बकाया लोन राशि भी कुल क्रेडिट सीमा से काट ली जाएगी.

कार्ड सदस्य बैंक द्वारा तय किए गए कार्यकाल पर, फेडरल बैंक द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट सीमा और/या नकद सीमा में कटौती की समीक्षा के लिए आवेदन करने का हकदार होगा. ऐसी समीक्षा पर क्रेडिट सीमा और/या नकद सीमा में परिवर्तन, यदि कोई हो, फेडरल बैंक के विवेक पर निर्भर होगा. फेडरल बैंक अपने विवेकाधिकार से किसी भी समय कार्ड पर निर्दिष्ट क्रेडिट सीमा और/या नकद सीमा की समीक्षा (वृद्धि या कटौती सहित) करने का हकदार होगा और केवल क्रेडिट सीमा और/या नकद सीमा में वृद्धि, यदि कोई हो, को कार्ड सदस्य की सहमति के साथ बैंक द्वारा प्रभावी किया जाएगा.

**A. क्रेडिट लिमिट:** यह कार्डधारक को दी गई सीमा है. सभी लेनदेन, शुल्क और प्रभार सहित कुल बकाया राशि इस सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए.

**B. नकद निकासी सीमा:** यह कार्ड धारक को दी गई नकद अग्रिम सीमा है. यह सीमा क्रेडिट सीमा से कम है और कुल क्रेडिट सीमा का एक उपसमूह है. निकाली गई राशि पर 2.5% का लेनदेन शुल्क (वेव क्रेडिट कार्ड पर लागू नहीं) लगाया जाएगा, जिसकी न्यूनतम सीमा ₹500/- होगी और कार्डधारक को अगले स्टेटमेंट में बिल किया जाएगा. इसके अलावा, नकद लेनदेन पर हमेशा लेनदेन की तारीख से ही वित्त शुल्क लगता है, जबकि खुदरा खरीदारी पर ब्याज देय तिथि तक 100% शेष राशि के भुगतान पर निर्भर करता है.

i) उपलब्ध क्रेडिट सीमा: किसी भी समय उपलब्ध क्रेडिट सीमा, निर्धारित क्रेडिट सीमा और उस समय कार्ड पर बकाया राशि के बीच का अंतर होती है. अतिरिक्त कार्ड धारक, प्राथमिक कार्ड धारक को दी गई इस क्रेडिट सीमा को साझा करेंगे.

ii) उपलब्ध नकद सीमा: किसी भी समय उपलब्ध नकद सीमा, निर्धारित नकद सीमा और उस समय कार्ड पर बकाया राशि के बीच का अंतर होती है.

### 3) क्रेडिट कार्ड एक्टिवेशन:

अपने फिजिकल क्रेडिट कार्ड को POS/ATM/कॉन्टैक्टलेस के लिए एक्टिवेट करने के लिए, आपको सबसे पहले पिन सेट करना होगा. आप निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक के ज़रिए अपना क्रेडिट कार्ड पिन सेट कर सकते हैं.

1. फेडमोबाइल ऐप का उपयोग: फेडमोबाइल पर लॉग इन करें → क्रेडिट कार्ड → क्रेडिट कार्ड पिन सेट करें
2. 0484-2630994 डायल करके इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पॉंस (IVR) सिस्टम का उपयोग करें

ई-कॉम (ऑनलाइन) लेनदेन के लिए अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए:

1. फेडमोबाइल ऐप का उपयोग: फेडमोबाइल पर लॉग इन करें → क्रेडिट कार्ड → क्रेडिट कार्ड पिन सेट करें
2. 080 - 49670455 पर मिस्ड कॉल करके अपना क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करें - यह तेज़ और आसान है! ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 08049670455 पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं.

### 4) लाउंज एक्सेस

1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी तौर पर, निःशुल्क एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस निम्नलिखित संशोधित शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा:

#### 1. त्रैमासिक खर्च-आधारित पात्रता:

निःशुल्क लाउंज एक्सेस केवल उन प्राथमिक कार्डधारकों को उपलब्ध होगा जो पिछली कैलेंडर तिमाही के दौरान नीचे बताई गई न्यूनतम व्यय आवश्यकता को पूरा करते हैं. लागू खर्च आवश्यकता और एक्सेस अवधि नीचे दी गई है:

त्रैमासिक खर्च चक्र*		निःशुल्क त्रैमासिक लाउंज एक्सेस	
आरंभ दिनांक	समापन दिनांक	आरंभ दिनांक	समापन दिनांक

21-जून	20-सितं	01-अक्टू	31-दिसं
21-सितं	20-दिसं	01-जन	31-मार्च
21-दिसं	20-मार्च	01-अप्रैल	30-जून
21-मार्च	20-जून	01-जुलाई	30-सितं

## 1. किस्म के अनुसार लाउंज एक्सेस सीमाएं:

प्रति पात्र तिमाही उपलब्ध निःशुल्क लाउंज विजिट एक्सेस की संख्या कार्ड किस्मों पर आदारित है, जैसा नीचे वर्णित है:

कार्ड किस्म	त्रैमासिक खर्च	लाउंज एक्सेस
सिग्रेट	₹20,000	1 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस प्रति तिमाही
इम्पीरियो	₹40,000	2 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस प्रति तिमाही
सेलेस्टा	₹60,000	2 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस प्रति तिमाही (त्रैमासिक खर्च पर आधारित) और 2 अंतर्राष्ट्रीय लाउंज एक्सेस प्रति वर्ष (किसी भी खर्च मानक के बिना)

## 2. सामान्य शर्तें:

- प्राथमिक कार्ड धारक के खर्च की परवाह किए बिना, ऐड-ऑन कार्ड धारक लाउंज एक्सेस लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे.
- यदि पात्र अवधि के दौरान न्यूनतम खर्च पूरा नहीं किया जाता है, तो लाउंज एक्सेस अस्वीकार कर दिया जाएगा या शुल्क लिया जाएगा.
- अप्रयुक्त लाउंज एक्सेस को आगामी तिमाहियों में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.
- बैंक अपने पूर्ण विवेक पर लाउंज एक्सेस कार्यक्रम को संशोधित करने, वापस लेने या सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
- कार्ड का उपयोग करके किए गए नकद लेनदेन (जिसमें एटीएम से नकद निकासी शामिल है) को लाउंज प्रवेश लाभों के लिए वैध खर्च नहीं माना जाएगा.
- केवल उन्हीं लेनदेन पर लाउंज प्रवेश पात्रता के लिए विचार किया जाएगा जिनका निपटान/बिलिंग लागू तिमाही खर्च चक्र के भीतर की गई हो. उदाहरण के लिए, यदि तिमाही खर्च चक्र 21 जून से 20 सितंबर तक है, और कोई लेनदेन 19 सितंबर को किया जाता है, लेकिन बिलिंग/निपटान केवल 21

सितंबर को होता है, तो उस खर्च को संबंधित तिमाही खर्च चक्र के लिए नहीं माना जाएगा. लाउंज प्रवेश लाभों के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु ऐसे लेनदेन का लेखा-जोखा केवल आगामी तिमाही खर्च चक्र (अर्थात अक्टूबर से दिसंबर) में ही किया जाएगा.

5) बिलिंग विवरण:

बैंक कार्डधारक को एक मासिक विवरण भेजेगा जिसमें पिछले विवरण के बाद से कार्डधारक के खाते में जमा किए गए भुगतान और डेबिट किए गए लेनदेन दर्शाए जाएँगे. बैंक हर महीने एक पूर्व-निर्धारित तिथि पर, बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज डाक पते पर कार्ड खाते में लेनदेन का विवरण भेजेगा. यदि बकाया राशि रु.50,000 से कम है, तो बैंक कार्डधारक को एक मासिक विवरण भेजेगा जिसमें पिछले विवरण के बाद से कार्डधारक के खाते में जमा किए गए भुगतान और डेबिट किए गए लेनदेन दर्शाए जाएँगे. 200/- से अधिक होने पर और पिछले स्टेटमेंट के बाद से कोई और बिलिंग लेन-देन लंबित नहीं होने पर, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाएगा.

A. कार्ड पर लागू बिलिंग चक्र वही होगा जो बैंक द्वारा आपके कार्ड को निर्दिष्ट किया गया है. आपको बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत विभिन्न माध्यमों से महीने की 1 से 28 तारीख के बीच कोई भी तिथि चुनकर बिलिंग चक्र बदलने का विकल्प दिया जाएगा, बशर्ते कार्ड खाते में कोई बकाया राशि न हो. आप कार्ड के पूरे जीवनकाल के दौरान बिलिंग चक्र के आरंभ या समापन दिन को अधिकतम 5 (पाँच) बार बदलने के हकदार हैं. इस सीमा से आगे बिलिंग चक्र बदलने का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि कार्ड अपग्रेड न किया गया हो. कार्ड अपग्रेड करने पर, आपको बिलिंग चक्र बदलने के लिए अतिरिक्त 5 (पाँच) अवसर प्राप्त होंगे, चाहे पिछले कार्ड के संबंध में बिलिंग चक्र में कोई भी परिवर्तन किया गया हो.

B. स्टेटमेंट भेजने की आवधिकता और तरीका: सभी कार्डधारकों को कार्ड के उपयोग से होने वाले सभी शुल्कों और कार्ड खाते पर लागू सभी शुल्कों के लिए मासिक बिल भेजा जाएगा. बिलिंग विवरण ग्राहकों को मासिक रूप से ईमेल के माध्यम से साझा किया जाएगा.

C. कुल देय राशि: कुल देय राशि, बिलिंग चक्र के अंत में उत्पन्न क्रेडिट कार्ड विवरण के अनुसार कार्ड धारक द्वारा देय कुल राशि (बिलिंग चक्र के दौरान प्राप्त क्रेडिट को घटाकर, यदि कोई हो) है.

D. न्यूनतम देय राशि: न्यूनतम देय राशि (एमएडी) की गणना कुल देय राशि के 5% (न्यूनतम ₹100/- के अधीन), महीने के लिए नए ईएमए डेबिट या पहले से भुगतान न किए गए ईएमआई डेबिट + जीएसटी + शुल्क के योग के रूप में की जाती है. यदि कार्डधारक कुल देय भुगतान या एमएडी (किसी भी परिस्थिति में एमएडी से कम नहीं) का कुछ भाग जमा करता है, तो देय शेष राशि को बाद के विवरणों में आगे ले जाया जाएगा. इस राशि पर पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक ब्याज लगेगा. कृपया ध्यान दें कि हर महीने केवल न्यूनतम देय राशि का भुगतान करने से पुनर्भुगतान लंबी अवधि तक चलेगा और परिणामस्वरूप कार्डधारक के बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान होगा. ब्याज शुल्क ग्राहक द्वारा बचत खाते में पिछली तिमाही की शेष राशि पर निर्भर करेगा.

पिछली तिमाही के लिए औसत मासिक शेष	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर %)
रु. 50,000 से कम	45.00% (3.75% प्रति महीना)
रु.. 50,000 - 3,00,000	32.28% (2.69% प्रति महीना)

Rs. 3,00,001- 10,00,000	20.28% (1.69% प्रति महीना)
रु. 10,00,000 से अधिक	8.28% (0.69% प्रति महीना)

एएमबी- बैंक के साथ रखे गए ऑपरेटिव खाते में औसत मासिक शेष, यानी किसी दिए गए महीने में सभी समापन-दिन शेषों का औसत. एएमबी की गणना करने के लिए, आपको प्रत्येक दिन के अंतिम शेष को जोड़ना होगा और उसे उस महीने के दिनों की संख्या से विभाजित करना होगा. एक तिमाही के लिए एएमबी उस तिमाही के 3 महीनों में बनाए गए एएमबी का औसत होगा.

तिमाहियों को जनवरी, फरवरी और मार्च को तिमाही 1 के रूप में परिभाषित किया गया है; अप्रैल, मई और जून को तिमाही 2 के रूप में; जुलाई, अगस्त और सितंबर को तिमाही 3 के रूप में और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को तिमाही 4 के रूप में. तिमाही 2 के लिए एपीआर को तिमाही 1 के औसत मासिक शेष के आधार पर माना जाएगा. उदाहरण के लिए: 1 जनवरी - 31 मार्च एएमबी 1 अप्रैल - 30 जून आदि तिमाही के लिए लागू होगा.

ईएमआई / रद्द किए गए लेनदेन / रिवर्सल / प्रमोशनल कैशबैक में परिवर्तित लेनदेन के कारण कोई व्यापारी रिफंड / कैशबैक / क्रेडिट कार्ड के बकाया के भुगतान के रूप में नहीं माना जाएगा.

यदि कार्डधारक कार्ड की बकाया राशि से अधिक भुगतान करता है, तो कार्ड खाते में क्रेडिट शेष राशि होगी. इसे कार्ड पर आगे होने वाले लेन-देन में समायोजित किया जाएगा. हालाँकि, इस अतिरिक्त क्रेडिट राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जा सकता.

E. बिलिंग विवाद समाधान: यदि कार्डधारक स्टेटमेंट में दर्शाए गए शुल्कों से असहमत है, तो स्टेटमेंट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ग्राहक सेवा को 1800 420 1199/1800 425 1199 पर कॉल करके या [creditcards@federalbank.co.in](mailto:creditcards@federalbank.co.in) पर ईमेल करके बैंक को सूचित किया जाना चाहिए. ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि स्टेटमेंट में दर्शाए गए सभी शुल्क आपके द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं.

बैंक का पूरा डाक पता: द फेडरल बैंक लि., दूसरी मंजिल, परकल टावर्स, ऑप्स - कार्ड और खाता सेवा विभाग, परुर जंक्शन, अलुवा, एर्नाकुलम, केरल, भारत, 683 102

6) भुगतान की पद्धतियाँ:

A. किसी भी बैंक में बचत/चालू खाता रखने वाले कार्डधारक निम्नलिखित माध्यमों से भुगतान कर सकते हैं:

i. एनईएफटी/ आईएमपीएस:

ए. [www.federalbank.co.in](http://www.federalbank.co.in) पर लॉग ऑन करें

बी. कार्डधारक का लाभार्थी विवरण दर्ज करके और सीधे राशि हस्तांतरित करके

नाम: कार्ड पर नाम

बैंक का नाम: फेडरल बैंक

खाता सं.: कार्ड सं.

आईएफएससी: FDRL00CARDS

शाखा स्थान: अलुवा

ii. ऑटो डेबिट: यदि कार्डधारक का बैंक में बचत खाता है, तो वह लिखित रूप में निर्देश देकर बचत खाते के माध्यम से सीधे भुगतान कर सकता है कि भुगतान की नियत तिथि पर हर महीने उस खाते से भुगतान डेबिट किया जाए. कार्डधारक इस बात से सहमत है कि फ्लोटर क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत बकाया राशि के भुगतान का तरीका (जिसमें वह निर्दिष्ट खाता शामिल है जिससे ऑटो-डेबिट जुड़ा है, चाहे ऑटो-डेबिट की जाने वाली राशि कुल देय राशि हो या न्यूनतम देय राशि आदि) प्राथमिक कार्ड पर लागू शर्तों के समान ही होगा. यदि कार्डधारक भुगतान के तरीके में कोई बदलाव करना चाहता है, तो कार्डधारक को बैंक संपर्क केंद्र (ई-मेल: [creditcards@federalbank.co.in](mailto:creditcards@federalbank.co.in) टोल-फ्री 18004201199 या 18004251199) को एक विशिष्ट अनुरोध प्रस्तुत करना होगा, जिसे बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार से स्वीकृत कर सकता है. फ्लोटर क्रेडिट कार्ड जारी होने के बाद प्राथमिक कार्ड में किए गए भुगतान के तरीके में कोई भी बदलाव फ्लोटर क्रेडिट कार्ड पर लागू/प्रतिबिंबित नहीं होगा.

ऐसे मामले में जहां कार्डधारक सदस्य अपने एनआरओ खाते से धन प्रेषण कर रहा है, वह वारंटी देता है कि ऐसा धन प्रेषण उसके एनआरओ खाते में रखे शेष राशि से किया गया है जो भारत में उसकी वैध प्राप्तियों से उत्पन्न होता है, न कि किसी अन्य व्यक्ति से उधार लेकर या किसी अन्य एनआरओ खाते से हस्तांतरण के माध्यम से. ऐसी वारंटी का उल्लंघन करने पर, कार्डधारक सदस्य फेमा के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा. कार्डधारक यह भी पुष्टि करता है और वारंटी देता है कि उसके एनआरओ खाते में शेष राशि से भारत के बाहर प्रत्यावर्तित राशि, एनआरओ खाते से एनआरई खाते में हस्तांतरित राशि, क्रेडिट कार्ड बिल के लिए भुगतान और किसी अन्य अनुरोध के माध्यम से हस्तांतरित की जाने वाली राशि किसी विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान यूएसडी1,000,000- (यू एस डॉलर दस लाख) या किसी भी बैंक में इसके समतुल्य से कम है.

एनआरओ खाते से डेबिट के माध्यम से क्रेडिट कार्ड बिल निपटान हेतु उपयोग की गई धनराशि के लिए, कार्डधारक यह पुष्टि करता है कि सीबीडीटी नियमों के अनुसार भारत में कर योग्य आय पर लागू कर चुकाया गया है और कार्डधारक तथा एनआरओ खाताधारक एक ही हैं. बकाया राशि की वसूली ऑटो रिकवरी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में बैंक में कार्डधारक के किसी भी चालू खाते से भी की जा सकती है.

i. चेक/ड्राफ्ट: "फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड संख्या XXXXXXXXXXXXXXX" के पक्ष में एक चेक या ड्राफ्ट बनाएँ और उसे कलेक्शन बॉक्स में डालें या बैंक शाखाओं में काउंटर पर जमा करें. बाहरी चेक/ड्राफ्ट, अर्थात् विशिष्ट शहरों के अलावा अन्य शहरों में देय चेक/ड्राफ्ट (बैंक द्वारा

समय-समय पर निर्धारित ऐसे विशिष्ट शहरों की सूची, अनुरोध पर उपलब्ध है) पर प्रसंस्करण शुल्क लग सकता है।

बैंक चेक के समाशोधन हेतु टीएटी - 1 कार्य दिवस

किसी अन्य बैंक चेक के समाशोधन हेतु टीएटी - प्राप्ति के आधार पर 3-5 कार्य दिवस

iv. नकद: कार्डधारक बैंक की किसी भी शाखा में कार्ड भुगतान के लिए नकद जमा कर सकता है। शाखाओं में ऐसे भुगतानों पर प्रति भुगतान लेनदेन रु.100 का शुल्क लगेगा।

v. पेमेंट गेटवे: ग्राहक बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध भुगतान गेटवे पोर्टल का उपयोग करके अन्य बैंक खातों से अपने क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान कर सकते हैं: क्रेडिट कार्ड -> क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान -> पीजी के माध्यम से भुगतान करें।

फंड निपटारे के लिए टीएटी: 3 कार्यदिवसों तक।

B. फेडरल बैंक में बचत/चालू खाता रखने वाले कार्डधारक उपरोक्त भुगतान विधियों के अलावा, निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:

i. फेड मोबाइल के माध्यम से भुगतान: ग्राहक फेड मोबाइल ऐप (फेड मोबाइल -> क्रेडिट कार्ड -> क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान) का उपयोग करके अपने क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान कर सकते हैं।

फंड निपटारे के लिए टीएटी: T+1 (जहाँ 'T' लेनदेन की तिथि है)

ii. फेड नेट के माध्यम से भुगतान: ग्राहक फेड नेट (फेड नेट->क्रेडिट कार्ड-> डैशबोर्ड->भुगतान करें) का उपयोग करके अपने क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान कर सकते हैं।

फंड निपटारे के लिए TAT: T+1 (जहाँ 'T' लेनदेन की तिथि है)

ऑटो डेबिट के अलावा किसी भी स्व-भुगतान विधि से किए जाने पर क्रेडिट कार्ड का बकाया भुगतान देय तिथि से कम से कम तीन दिन पहले किया जाना चाहिए। ऑटो-डेबिट के लिए, बैंक के पास वैध ऑटो-डेबिट अधिदेश पंजीकृत होना चाहिए और भुगतान देय तिथि से 1 दिन पहले डेबिट खाते में पर्याप्त शेष राशि होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, कृपया विज़िट करें: क्रेडिट कार्ड भुगतान - अपने क्रेडिट कार्ड बिल का ऑनलाइन भुगतान करें | फेडरल बैंक

## 7) रिवॉर्ड पॉइंट्स:

रिवॉर्ड पॉइंट्स का प्रबंधन एंटरप्राइज़ लेवल पर किया जाएगा और इसमें बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किए गए खुदरा लेनदेन से प्राप्त सभी रिवॉर्ड पॉइंट्स शामिल होंगे। रिवॉर्ड पॉइंट्स की संरचना नीचे दी गई है:

कार्ड नाम	का पॉइंट्स प्रति खर्च किए रु.
सिग्रेट	1 पॉइंट प्रति रु. 200/- खर्च
इम्पीरियो	1 पॉइंट प्रति रु. 150/- खर्च
सेलेस्टा	1 पॉइंट प्रति रु. 100/- खर्च
वेव	1 पॉइंट प्रति रु. 200 /- खर्च

ए) नकद लेनदेन, ईंधन खर्च, ई-वॉलेट लोडिंग और सरकारी लेनदेन पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित नहीं होंगे.

बी) यदि कार्ड बकाया, निलंबित या डिफॉल्ट है या कार्ड खाता धोखाधड़ी से संचालित किया जा रहा है या होने का उचित संदेह है, तो बैंक कार्ड पर अर्जित रिवॉर्ड पॉइंट को रद्द या निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. कार्ड मेंबर की मृत्यु के समय या कार्ड के रद्द/समाप्ति से पहले अर्जित लेकिन भुनाए नहीं गए रिवॉर्ड पॉइंट जब्त कर लिए जाएंगे.

सी) 1 जनवरी, 2024 से, निम्नलिखित श्रेणियां/एमसीसी कोड क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित करने के पात्र नहीं होंगे: ईंधन (5541, 7983, 5172, 5542) और सरकारी सेवाएँ (9399, 4784, 9311, 9222, 9402, 4011, 9405, 9211)

डी) 15 जुलाई 2024 से, वित्तीय संस्थानों (6012) और अर्ध-नकद (6051 और 6050) से संबंधित लेनदेन पर रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित नहीं होंगे.

ई) 15 जुलाई 2024 से, बीमा लेनदेन (6300 और 5960) के लिए अर्जित रिवॉर्ड पॉइंट्स की मासिक सीमा प्रति कैलेंडर माह प्रति कार्ड 250 पॉइंट होगी.

एफ) प्रत्येक फेडरल रिवॉर्ड पॉइंट का मूल्य रु. 0.25.

जी) 15 जुलाई 2024 से, कार्ड खाते में 'नकद' के रूप में रिवॉर्ड पॉइंट्स के रिडेम्पशन की गणना 10 पैसे प्रति पॉइंट की दर से की जाएगी.

एच) 1 अप्रैल 2023 से, कार्ड के माध्यम से किए गए किराए के भुगतान पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे.

#### 8) चूक:

ए. यदि कार्ड मेंबर बिलिंग विवरण में दर्शाई गई तिथि तक न्यूनतम देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो इसे चूक माना जाएगा. चूक की स्थिति में, बैंक चूक की रिपोर्ट क्रेडिट सूचना ब्यूरो या कानून द्वारा अनुमोदित अन्य एजेंसियों को अग्रेषित कर सकता है. हालाँकि, किसी भी चूक की रिपोर्ट करने से पहले, बैंक कार्डधारक को चूक की रिपोर्ट करने के अपने इरादे के बारे में सात दिन पहले सूचित करेगा. बैंक कार्ड मेंबर का डेटा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो या कानून द्वारा अनुमोदित अन्य एजेंसियों (भारत में) को मासिक आधार पर प्रस्तुत करता है. इस डेटा में सभी कार्ड मेंबर्स (क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को रिपोर्ट करने के बाद किए गए किसी भी बकाया राशि के निपटारे के विवरण सहित), यानी पिछले महीने के डिफॉल्टर और गैर-डिफॉल्टर दोनों की

पुनर्भुगतान स्थिति शामिल होगी. ब्यूरो अगले तीस दिनों में प्रस्तुत डेटा को अपने सर्वर पर अपलोड करेंगे.

बी. डिफॉल्ट रिपोर्ट वापस लेने की प्रक्रिया और बकाया राशि के निपटारे के बाद डिफॉल्ट रिपोर्ट वापस लेने की अवधि.

सी. यदि कार्डधारक डिफॉल्टर के रूप में रिपोर्ट किए जाने के बाद बकाया राशि का भुगतान करता है, तो बैंक निपटारे की तारीख से 30 दिनों के भीतर क्रेडिट सूचना ब्यूरो या कानून द्वारा अनुमोदित अन्य एजेंसियों को स्थिति की जानकारी देगा. यदि किसी भी लेनदेन पर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद के निपटारे के बाद ही डिफॉल्ट से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी. जैसा कि खंड ए में ऊपर बताया गया है, ब्यूरो अगले तीस दिनों में प्रस्तुत डेटा को अपने सर्वर पर अपलोड करेंगे. कार्ड मेंबर बैंक द्वारा कार्ड मेंबर को दी गई किसी अन्य ऋण/वित्तीय/क्रेडिट सुविधा के संबंध में चूक की स्थिति में क्रेडिट कार्ड सुविधा को समाप्त करने के बैंक के अधिकार को स्वीकार करता है और इसके उलट भी कर सकता है. कार्ड खाते में बकाया राशि के भुगतान में चूक की स्थिति में, बैंक नियम व शर्तों में विस्तार से उल्लिखित वसूली कार्यवाही/कानूनी कार्रवाई करने का हकदार होगा.

डी. कार्डधारक की मृत्यु/स्थायी रूप से अक्षम होने की स्थिति में बकाया राशि की वसूली: यह बकाया राशि के भुगतान के लिए पर्याप्त सूचना और बकाया राशि से संबंधित सभी जानकारी, कार्डधारक के उत्तराधिकारियों/नामितियों/कानूनी उत्तराधिकारियों/अभिभावक को देने के बाद लागू कानूनों के अनुसार होगी.

ई. कार्ड मेंबर यह स्वीकार करता है कि घटिया/संदिग्ध/हानिकारक एनपीए में वर्गीकरण, एडवांसेस से संबंधित आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों पर आरबीआई मास्टर परिपत्र के अनुसार किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. घटिया/संदिग्ध/हानि एनपीए में वर्गीकरण, बैंक के साथ समग्र ऋण-जोखिम में संयुक्त सुरक्षा विभाजन और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्दिष्ट आयु के नियमों के आधार पर, आईआरएसी पर विवेकपूर्ण मानदंडों पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाएगा. वर्तमान मानदंड के अनुसार, 90 (नब्बे) दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया राशि को, एडवांसेस से संबंधित आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों पर आरबीआई मास्टर परिपत्र के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा.

ii. यदि कर्जदारों के नाम पर कोई अन्य सुविधा एनपीए के रूप में वर्गीकृत है, तो इस सुविधा को भी एनपीए में वर्गीकृत किया जाएगा. ऐसी स्थिति में, सुविधा को मानक परिसंपत्ति/परिसंपत्तियों के रूप में तब तक अपग्रेड नहीं किया जाएगा जब तक कि कर्जदार अपने सभी खातों से संबंधित संपूर्ण बकाया/देय राशि का भुगतान नहीं कर देता (अर्थात सभी खातों में बकाया/देय राशि शून्य होनी चाहिए).

iii. कर्जदार के खातों का एसएमए और एनपीए के रूप में वर्गीकरण संबंधित तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया के भाग के रूप में किया जाएगा और एसएमए या एनपीए वर्गीकरण तिथि वह कैलेंडर तिथि होगी जिसके लिए दिन के अंत की प्रक्रिया चलाई जाती है. दूसरे शब्दों में, एसएमए/एनपीए की तिथि उस कैलेंडर तिथि के दिन के अंत में खाते की परिसंपत्ति वर्गीकरण स्थिति को दर्शाएगी.

जब देय तिथि से भुगतान हेतु लंबित राशि/बकाया राशि हो, तो कार्ड को विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा. एसएमए के वर्गीकरण के लिए लागू मानदंड इस प्रकार हैं:

एसएमए श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार (मूलधन या ब्याज या कोई अन्य राशि जो पूर्णतया या आंशिक रूप से बकाया है)
एसएमए – 0	भुगतान के नियत दिनांक से 30 दिन तक (पीडीडी).
एसएमए – 1	भुगतान के नियत दिनांक से 30 दिन से अधिक से लेकर 60 दिन तक (पीडीडी)
एसएमए– 2	भुगतान के नियत दिनांक से 60 दिन से अधिक से लेकर 90 दिन तक (पीडीडी)

iv. यदि कार्ड खाते के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है या बकाया रहती है, तो कार्ड खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा. डिफॉल्ट की स्थिति में, कार्डधारक को कार्ड खाते पर बकाया राशि/राशि के निपटान हेतु समय-समय पर डाक, टेलीफोन, ई-मेल, एसएमएस संदेश और/या किसी तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता (संग्रह/वसूली एजेंट) के माध्यम से अनुस्मारक भेजे जाएँगे ताकि बकाया राशि की याद दिलाई जा सके, उसका अनुगमन किया जा सके और उसका संग्रह किया जा सके. कार्डधारक बकाया राशि के संग्रह/वसूली से संबंधित सभी/किसी भी खर्च का भुगतान बैंक को करने के लिए उत्तरदायी होगा और उसे कार्ड खाते से डेबिट किया जाएगा.

एफ. उपलब्ध इंश्योरेंस कवर का विवरण (यदि लागू हो): कर्जदार लागू प्रीमियम का भुगतान करने पर कार्ड को किसी भी नुकसान/चोरी/दुरुपयोग आदि से सुरक्षित रखने के लिए बीमा कवर प्राप्त करने का हकदार होगा. इसके विवरण, जिसमें सक्रियण तिथि, नामांकन विवरण आदि शामिल हैं, मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार होंगे.

### 9) ग्रहणाधिकार का अधिकार:

- A. यदि बैंक द्वारा मांगे जाने पर, कार्ड खाते की शेष राशि निर्धारित समय के भीतर चुकाई नहीं जाती है तो बैंक को, किसी भी समय और बिना किसी सूचना के, ग्रहणाधिकार का अधिकार होगा और कार्ड सदस्य के सभी पैसे को बंद करने और/या बैंक के किसी भी खाते/कस्टडी में कार्ड सदस्य को उनके खाते में जोड़ने का अधिकार होगा.
- B. रिडेम्पशन के निपटारे के दौरान, यदि उपलब्ध रिवाइड पॉइंट्स का शेष लेन-देन के लिए आवश्यक पॉइंट्स से कम है, तो बैंक ग्राहक के कार्ड/खाते से अंतर की राशि को डेबिट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

- C. सुरक्षित क्रेडिट कार्ड के लिए, ग्राहक की सावधि जमा राशि को ग्राहक को जारी किए गए क्रेडिट कार्ड के प्रति चिन्हित किया जाएगा. ग्राहक द्वारा सभी बकाया चुकाने और बैंक के पास उपलब्ध क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने के बाद ग्रहणाधिकार हटा लिया जाएगा.

## 10) कार्ड सदस्यता की समाप्ति/निरस्तीकरण

कार्ड सदस्य किसी भी समय पूर्व सूचना देकर या उसके बिना कार्ड खाता समाप्त करने का विकल्प चुन सकता है. दुरुपयोग से बचने के लिए, क्रेडिट कार्ड को चार टुकड़ों में काटने की सलाह दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि होलोग्राम और चुंबकीय पट्टी स्थायी रूप से नष्ट हो जाए. कार्ड सदस्य किसी भी समय दूसरी मंजिल, पैराकल टावर्स, फेडरल बैंक, ऑपरेशन्स डिपार्टमेंट, पारूर जंक्शन, अलुवा, एर्नाकुलम, केरल, भारत, 683108 को पत्र लिखकर पूरा कार्ड नंबर बताकर कार्ड सदस्यता समाप्त कर सकता है. कार्ड सदस्य फेडमोबाइल, फेडनेट या बैंक के संपर्क केंद्र के माध्यम से क्रेडिट कार्ड रद्द करने का अनुरोध भी कर सकता है. समाप्ति तभी प्रभावी होगी जब फेडरल बैंक को उक्त कार्ड खाते के संबंध में देय और बकाया सभी राशियों का भुगतान प्राप्त हो जाएगा. किसी बिलिंग चक्र के लिए ब्याज/वित्त शुल्क, यदि कोई लागू हो, अगले बिलिंग चक्र पर लगाया/भुगतान किया जाएगा और कार्ड सदस्यता की समाप्ति/निरस्तीकरण के बावजूद कार्ड सदस्य इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा.

क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम बंद होने की स्थिति में या क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण के समय, बैंक अपने विवेक से एक कार्ड प्रकार प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो कार्ड सदस्य द्वारा रखे गए मौजूदा कार्ड प्रकार से भिन्न हो. किसी भी समय किसी भी क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट सीमा और नकद सीमा बैंक के विवेक के अनुसार होती है. कार्ड आवेदन समापन/नवीनीकरण के समय प्रदान किए गए किसी भी रिप्लेसमेंट कार्ड के लिए मान्य रहेगा.

क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम बंद होने की स्थिति में या क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण के समय, बैंक अपने विवेक से एक कार्ड प्रकार प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो कार्ड सदस्य द्वारा रखे गए मौजूदा कार्ड प्रकार से भिन्न हो. किसी भी समय किसी भी क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट सीमा और नकद सीमा फेडरल बैंक लिमिटेड के विवेक के अनुसार होती है. कार्ड आवेदन समापन/नवीनीकरण के समय प्रदान किए गए किसी भी रिप्लेसमेंट कार्ड के लिए मान्य रहेगा.

यदि किसी क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक वर्ष से अधिक समय से नहीं किया गया है, तो कार्डधारक को सूचित करने के बाद कार्ड को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. यदि उपयोग न करने की एक वर्ष की अवधि की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर कार्डधारक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो कार्डधारक द्वारा सभी बकाया राशि के भुगतान के अधीन, कार्ड खाता फेडरल बैंक द्वारा बंद कर दिया जाएगा. कार्ड खाते को बंद करने के संबंध में जानकारी भी तदनुसार 30 दिनों की अवधि के भीतर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी/कंपनियों के साथ अद्यतन की जाएगी. क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने के लिए, ग्राहक हमारे 24 घंटे चलने वाले ग्राहक कार्ड को 1800 420 1199/1800 425 1199 पर कॉल कर सकते हैं या [creditcards@federalbank.co.in](mailto:creditcards@federalbank.co.in) पर ईमेल कर सकते हैं. क्रेडिट कार्ड की गलत बिक्री या क्रेडिट कार्ड से संबंधित रिकवरी एजेंटों द्वारा उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के लिए कृपया [ccsalessupport@federalbank.co.in](mailto:ccsalessupport@federalbank.co.in) पर लिखें या 0484-6754111 पर कॉल करें.

## 11) कार्ड खोना /चोरी/दुरुपयोग होना:

ए. कार्ड के खोने/चोरी/दुरुपयोग के मामले में, केवल अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से [Creditcards@federalbank.co.in](mailto:Creditcards@federalbank.co.in) पर या मोबाइल बैंकिंग/इंटर बैंकिंग के माध्यम से इसकी सूचना फेडरल बैंक की होम ब्रांच को या तो लिंक पर जाकर:

unauthorized-transactions, या कस्टमर केयर को 1800 420 1199/1800 425 1199 पर कॉल करके तुरंत दी जानी चाहिए। इसके बाद बैंक कार्ड को निलंबित कर देगा। कार्ड सदस्य को स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने की सलाह दी जाती है ताकि कार्ड सदस्य बैंक द्वारा मांगे जाने पर इसकी प्रति प्रस्तुत कर सके। कार्ड सदस्य चोरी सहित कार्ड की सुरक्षा और कार्ड का उपयोग करके लेनदेन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा। कार्ड सदस्य कार्ड की हानि/चोरी/क्षति की रिपोर्ट करने के बाद उस पर किए गए किसी भी लेनदेन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हालाँकि, हानि/चोरी/क्षति और/या कार्ड पर किए गए लेनदेन की रिपोर्टिंग के समय, हानि/चोरी/क्षति/दुरुपयोग की रिपोर्टिंग के बाद किसी भी विवाद के मामले में, बैंक ऐसे समय और या विवादित लेनदेन की प्रामाणिकता का पता लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

कार्ड सदस्य के हितों की रक्षा करने और कार्ड खाते पर किसी भी तरह से दुरुपयोग से बचने के लिए बैंक के पास छेड़छाड़ के संदिग्ध जोखिम पर क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने का अधिकार सुरक्षित है। कार्ड सदस्य किसी भी लेनदेन के लिए अवरुद्ध कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएगा और उसे 7 (सात) कार्य दिवसों के भीतर रिप्लेसमेंट कार्ड प्राप्त होगा।

ऐसी स्थिति में, कार्ड सदस्य, बैंक द्वारा संभावित धोखाधड़ी जोखिम के बारे में सूचित किए जाने के बाद भी, कार्ड को अनब्लॉक करने का अनुरोध करता है, तो बैंक उसके बाद धोखाधड़ी भरे उपयोग के कारण उसके बाद हुए किसी भी धोखाधड़ी वाले या अन्यथा किसी प्रकार के लेनदेन के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा।

बी. कार्डधारक को कार्ड का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, आपको एक व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) जारी की जाएगी। बैंक, कार्डधारक का पिन या कोड आपके अलावा किसी और को नहीं बताएगा। उद्योग की कार्यप्रणाली के अनुरूप, कार्डधारक को पिन या अन्य प्रमाणीकरण कोड जारी करते समय बैंक ने उचित एहतियाती उपाय किए हैं और बैंक, कार्डधारक के पिन या कोड को कार्डधारक के अलावा किसी और को नहीं बताएगा। एक कार्डधारक के रूप में, आपको कार्ड का उपयोग करके किए गए लेन-देन की विशेषताओं और प्रभावों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आपको जारी किए गए कार्ड के किसी भी उपयोग के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सी. बैंक, कार्डधारक को पिन या कोड जारी करते समय सावधानी बरतेगा और बैंक, कार्डधारक के अलावा किसी और को कार्डधारक का पिन या कोड नहीं बताएगा।

इस पिन को कार्डधारक द्वारा डिजिटल रूप से सेट किया जा सकता है और बाद में, एटीएम पर या फेडरल बैंक मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या फेडरल बैंक ग्राहक सेवा केंद्र पर, अपने जोखिम पर बदला जा सकता है। पिन/एम-पिन कार्ड खाते तक पहुंच प्रदान करता है और कार्ड सदस्य पिन/एमपिन के उपयोग, गोपनीयता और सुरक्षा के साथ-साथ ऐसे पिन/एम-पिन का उपयोग करके कार्ड खाते में दर्ज किए गए सभी ऑर्डर और सूचना परिवर्तनों की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। कार्ड सदस्य किसी भी रूप में पिन/एम-पिन रिकॉर्ड नहीं करेगा जो तीसरे पक्ष को उस तक पहुंच प्रदान कर सके। कार्ड सदस्य इसके द्वारा बैंक को पिन/एम-पिन द्वारा प्रमाणित लेनदेन और निर्देशों को पूरा करने के लिए अधिकृत करता है और कार्ड सदस्य इसे रद्द नहीं करेगा। बैंक कार्ड सदस्य के पिन/एम-पिन के सत्यापन के अलावा कार्ड सदस्य द्वारा भेजे गए या भेजे गए कथित लेनदेन निर्देश की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए बाध्य नहीं है। कार्ड सदस्य हर समय पिन की सुरक्षा बनाए रखने के लिए यहां उल्लिखित सहित सभी आवश्यक और उचित कदम उठाएगा। यदि कार्डधारक सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक/कार्डधारक को कोई नुकसान होता है, तो वह ऐसे किसी भी नुकसान के लिए बैंक को उत्तरदायी नहीं

ठहराएगा/ठहराएगी और कार्डधारक बैंक को हुए/उठाए जाने वाले किसी भी नुकसान/देयता के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा/देगी. कार्डधारक कार्ड और/या पिन/एम-पिन के किसी भी अनुचित/धोखाधड़ीपूर्ण/अनधिकृत/डुप्लिकेट/गलत उपयोग के मामले में बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा/देगी. बैंक किसी तीसरे पक्ष द्वारा कार्ड के उपयोग/दुरुपयोग से जुड़े किसी भी परिणाम के लिए भी उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि कार्ड किसी तीसरे पक्ष के हाथों में चला जाता है या पिन/एम-पिन किसी तीसरे पक्ष को ज्ञात हो जाता है. यदि कोई तीसरा पक्ष कार्ड खाते सहित सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करता है, तो कार्डधारक जिम्मेदार होगा/होगी और तीसरे पक्ष द्वारा ऐसे दुरुपयोग/उपयोग से उत्पन्न किसी भी देयता, लागत या क्षति के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा/देगी, जो ऐसी पहुँच और उपयोग पर आधारित या उससे संबंधित है, या अन्यथा.

डी. कार्डधारक की देयता:

ए) निम्नलिखित घटनाओं में अनधिकृत लेनदेन होने पर शून्य जिम्मेदारी:

i) बैंक की ओर से धोखाधड़ी/लापरवाही/कमी

ii) तृतीय पक्ष द्वारा उल्लंघन, जहाँ कमी प्रणाली में कहीं और है, और आप अनधिकृत लेनदेन के संबंध में बैंक (या उसके किसी भी आउटसोर्स सेवा प्रदाता) से सूचना प्राप्त होने के 3 कार्यदिवसों के भीतर बैंक (उसके आउटसोर्स सेवा प्रदाता सहित) को सूचित करते हैं.

बी) निम्नलिखित मामलों में अनधिकृत लेनदेन के कारण होने वाले नुकसान के लिए आप उत्तरदायी होंगे:

i) ऐसे मामलों में जहाँ नुकसान आपकी लापरवाही के कारण हुआ है, जैसे कि आपने भुगतान संबंधी क्रेडेंशियल साझा किए हैं, तो आप तब तक पूरा नुकसान वहन करेंगे जब तक आप बैंक (या उसके किसी आउटसोर्स सेवा प्रदाता) को अनधिकृत लेनदेन की सूचना नहीं देते. अनधिकृत लेनदेन की सूचना देने के बाद होने वाला कोई भी नुकसान बैंक द्वारा वहन किया जाएगा.

ii) ऐसे मामलों में जहाँ अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की जिम्मेदारी न तो बैंक की है और न ही आपकी, बल्कि सिस्टम में कहीं और है और जब बैंक (या उसके किसी आउटसोर्स सेवा प्रदाता) से सूचना प्राप्त करने के बाद आपकी ओर से बैंक को ऐसे लेनदेन की सूचना देने में 4-7 कार्यदिवसों की देरी होती है, तो आपकी प्रति लेनदेन देयता लेनदेन मूल्य या नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित राशि (आरबीआई के अनुसार) जो भी कम हो, तक सीमित होगी.

आरबीआई परिपत्र संदर्भ DBR.No.Leg.BC.78/09.07.005/2017-18 दिनांक 6 जुलाई, 2017; के अनुसार कार्डधारक की समग्र देनदारी ग्राहक सुरक्षा पर संक्षेप में नीचे दिया गया है:

ग्राहक की देनदारी का सारांश	
सूचना प्राप्त होने की तिथि से धोखाधड़ी वाले लेनदेन की रिपोर्ट करने में लगने वाला समय	ग्राहक की देयता(₹)
3 कार्य दिवसों के भीतर	शून्य देयता

4 से 7 कार्य दिवसों के भीतर	यदि क्रेडिट कार्ड की सीमा $\leq$ Rs 5,00,000, अधिकतम देयता $\leq$ Rs 10,000 यदि क्रेडिट कार्ड की सीमा $>$ Rs 5,00,000; अधिकतम देयता $\leq$ Rs 25,000
7 कार्य दिवसों से अधिक	बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार

iii) इसके अलावा, यदि आप द्वारा सूचना देने में 7 कार्य दिनों से अधिक विलंब होता है तो आपकी देयता बैंक की बोर्ड मान्य नीति के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

## 12) शिकायत निवारण

यदि आप हमारी सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपनी शिकायत बैंक के शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से नीचे दिए अनुसार दर्ज करा सकते हैं:

चरण 1	कार्डधारक बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से टोल-फ्री नंबरों: 1800-425-1199/1800-420-1199; ई-मेल: <a href="mailto:creditcards@federalbank.co.in">creditcards@federalbank.co.in</a> पर संपर्क कर सकते हैं। या कार्डधारक नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित शाखा के पते पर संपर्क कर सकते हैं। या कार्डधारक ग्राहक शिकायत प्रपत्र का उपयोग करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो बैंक की वेबसाइट <a href="https://www.federalbank.co.in/grievance-redressal">https://www.federalbank.co.in/grievance-redressal</a> पर उपलब्ध है।
चरण 2	यदि कार्डधारक उपरोक्त किसी भी माध्यम से शिकायत के समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह बैंक के नोडल अधिकारी से ईमेल आईडी: <a href="mailto:creditcardescalation@federalbank.co.in">creditcardescalation@federalbank.co.in</a> पर संपर्क कर सकता है।  फोन: 0484-2866511;  या नोडल अधिकारी के पते पर, जो बैंक की वेबसाइट <a href="https://www.federalbank.co.in/grievance-redressal">https://www.federalbank.co.in/grievance-redressal</a> पर उपलब्ध है।
चरण 3	यदि शिकायत का समाधान कार्डधारक की संतुष्टि के अनुसार नहीं होता है, तो कार्डधारक इसे प्रधान नोडल अधिकारी को ई-मेल: <a href="mailto:support@federalbank.co.in">support@federalbank.co.in</a> ; दूरभाष: 0484-2626366 पर भेज सकता है। या प्रधान नोडल अधिकारी के पते पर, जो बैंक की वेबसाइट <a href="https://www.federalbank.co.in/grievance-redressal">https://www.federalbank.co.in/grievance-redressal</a> पर उपलब्ध है।
चरण 4	यदि शिकायत का समाधान नहीं होता है या उपरोक्त किसी भी माध्यम से बैंक में शिकायत दर्ज कराने के 30 दिनों के भीतर संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, तो बैंकिंग लोकपाल योजना 2021 के अंतर्गत, कार्डधारक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त एकीकृत बैंकिंग लोकपाल से बैंक की वेबसाइट <a href="https://www.federalbank.co.in/grievance-redressal">https://www.federalbank.co.in/grievance-redressal</a> पर उपलब्ध लिंक के

	<p>माध्यम से संपर्क कर सकता है.</p> <p>या यहाँ उल्लिखित बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध पते पर सीआरपीसी, आरबीआई को लिखें.</p>
--	---

### **अधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके विफल लेनदेन के लिए टर्नअराउंड समय (टीएटी) और ग्राहक मुआवजे का समन्वय**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2020 में सभी अधिकृत भुगतान प्रणालियों में ग्राहकों की शिकायतों के समाधान और मुआवजे के ढाँचे के लिए टर्नअराउंड समय (टीएटी) पर दिशानिर्देश जारी किए थे. बैंक और अन्य ऑपरेटर/सिस्टम प्रतिभागी ऐसे विफल लेनदेन के त्वरित समाधान के लिए प्रयास करेंगे और जहाँ भी वित्तीय मुआवज़ा शामिल होगा, ग्राहक की शिकायत या दावे की प्रतीक्षा किए बिना, स्वतः ही ग्राहक के खाते में जमा किया जाएगा. बैंक ने उपरोक्त दिशानिर्देशों को अपनाया है. विफल लेनदेन की स्थिति में, जहाँ भी वित्तीय मुआवज़ा शामिल होगा, ग्राहक के खाते में स्वतः ही जमा किया जाएगा.

अधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके विफल लेनदेन के लिए ग्राहक मुआवजे का विवरण नीचे दिया गया है:

अधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके विफल लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक मुआवजे का सामंजस्य			
अनु. क्र.	घटना का विवरण	ऑटो-रिवर्सल और मुआवजे के लिए रूपरेखा	
		ऑटो-रिवर्सल के लिए समय सीमा	देय मुआवजा
I	II	III	IV
1	माइक्रो-एटीएम सहित ऑटोमेटेड टेलर मशीनें (एटीएम)		
a	ग्राहक के खाते से डेबिट हो गया लेकिन नकदी नहीं निकली।	अधिकतम टी + 5 दिनों के भीतर विफल लेनदेन का प्रो-एक्टिव रिवर्सल (आर)।	टी + 5 दिन से अधिक की देरी पर ₹ 100/- प्रति दिन, खाताधारक के खाते में जमा किए जाएंगे।
2	<b>कार्ड से लेनदेन</b>		
a	कार्ड से कार्ड ट्रांसफर	यदि लाभार्थी के खाते में	टी + 1 दिन से अधिक की देरी

	कार्ड खाते से डेबिट किया गया लेकिन लाभार्थी कार्ड खाते में जमा नहीं किया गया।	क्रेडिट प्रभावी नहीं होता है, तो लेनदेन को टी + 1 दिन के भीतर उलट दिया जाना चाहिए।	पर ₹ 100/- प्रति दिन।
b	पीओएस पर नकद सहित पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) (कार्ड प्रेजेंट)।  खाते से डेबिट हो गया लेकिन व्यापारी के स्थान पर पुष्टि नहीं हुई यानी चार्ज-स्लिप जेनरेट नहीं हुई।	T+5 दिनों के भीतर ऑटो-रिवर्सल	टी + 5 दिन से अधिक की देरी पर ₹ 100/- प्रति दिन।
c	कार्ड मौजूद नहीं है (सीएनपी) (ई-कॉमर्स)  खाते से डेबिट हो गया लेकिन व्यापारी के सिस्टम पर पुष्टि प्राप्त नहीं हुई।		

### 11. FEMA (फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऐक्ट):

- A. भारत के बाहर लेनदेन के लिए कार्ड का उपयोग लागू कानून के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसमें आरबीआई के विनियम नियंत्रण विनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 शामिल हैं, और ऐसा करने में किसी भी विफलता की स्थिति में, आप दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।
- B. क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक/इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता है. नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार यह निषिद्ध है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट [www.federalbank.co.in](http://www.federalbank.co.in) पर विज़िट करें.
- C. यह कार्ड भारत के साथ-साथ विदेश में भी उपयोग के लिए वैध है. हालाँकि, यह नेपाल और भूटान में विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए मान्य नहीं है.
- D. केवल एनआरआई ग्राहकों के लिए 100% पुनर्भुगतान अनिवार्य रूप से फेडरल बैंक एनआरआई/एनआरओ खाते से ऑटोपे मोड के माध्यम से किया जाना चाहिए.
- E. एनआरआई ग्राहकों के लिए नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा.

## 12. कार्ड खाते में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन:

- A. यदि ग्राहक को उपलब्ध कराए गए किसी भी विवरण/रिकॉर्ड पर लेनदेन/शेष राशि के विवरण में कोई विसंगतियां मौजूद हैं, तो ग्राहक सात (7) दिनों के भीतर बैंक को लिखित रूप में सूचित करेगा.
- B. यदि बैंक को सात (7) कार्य दिवसों के बाद इसके विपरीत कोई जानकारी प्राप्त होती है, तो ग्राहकों की देनदारी बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित की जाएगी जो बैंकों की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
- C. यहां दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेजी रूप में बैंक द्वारा बनाए गए आपके निर्देशों के सभी रिकॉर्ड और ऐसे अन्य विवरण (किए गए भुगतान या प्राप्त किए गए भुगतान सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) को आपके खिलाफ ऐसे निर्देश और ऐसे अन्य विवरण का निर्णायक सबूत माना जाएगा.
- D. रिपोर्टिंग के समय और/या खाते पर किए गए लेनदेन या उक्त खाते के संबंध में किसी अन्य मामले से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में, बैंक समय और/या विवादित की प्रामाणिकता का पता लगाने का अधिकार सुरक्षित रखेगा. तीसरे पक्ष की धोखाधड़ी के कारण आपके कार्ड खाते में अनधिकृत लेनदेन के मामले में लेनदेन और आपकी देनदारी या जहां आपने धोखाधड़ी के लिए योगदान नहीं दिया है, को "ग्राहक सुरक्षा - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक में ग्राहकों की सीमित देयता" पर आरबीआई परिपत्र में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित किया जाएगा. समय-समय पर नियमों में किया गया कोई भी बदलाव उस समय लागू और बाध्यकारी होगा.

## 13. प्रकटीकरण:

बैंक कार्ड सदस्य, पुनर्भुगतान इतिहास आदि के बारे में सभी उपलब्ध जानकारी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो या कानून द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य एजेंसियों को देगा. बैंक/ग्रुप कंपनियाँ आवेदन प्रपत्रों और तस्वीरों सहित उसके साथ प्रदान किए गए दस्तावेजों को अपने पास रखने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं और उन्हें वापस नहीं करेंगी.

बैंक कार्ड सदस्य/एड-ऑन कार्ड सदस्य(सदस्यों) से संबंधित जानकारी साझा करेगा, जिसमें कार्डधारक द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में किए गए किसी भी डिफॉल्ट से संबंधित जानकारी भी शामिल है, जैसा कि बैंक उचित और आवश्यक समझे, किसी भी क्रेडिट जानकारी के साथ कंपनी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (रेगुलेशन) ऐक्ट, 2005 द्वारा विनियमित है. हालांकि, किसी भी डिफॉल्ट की रिपोर्ट करने से पहले, बैंक कार्ड सदस्य को डिफॉल्ट की रिपोर्ट करने के बैंक के इरादे के बारे में सात दिन पहले सूचित करेगा. यदि कार्ड सदस्य डिफॉल्टर के रूप में रिपोर्ट किए जाने के बाद बकाया राशि का निपटारा करता है, तो बैंक निपटारे की तारीख से 30 दिनों के भीतर स्थिति को अपडेट कर देगा. डिफॉल्ट से संबंधित जानकारी का खुलासा/जारी विवाद सुलझने के बाद ही किया जाएगा. विवाद के निपटारे के बाद ही डिफॉल्ट से संबंधित जानकारी का खुलासा/प्रकटीकरण किया जाएगा. बैंक एतद्वारा कार्डधारक को सूचित करता है कि बकाया कार्ड खातों के भुगतान की प्राप्ति पर कार्डधारक के डेटा का नया/अपडेट, निपटान की तिथि से 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर सिबिल/अन्य क्रेडिट ब्यूरो में दिखाई देगा.

बैंक निम्नलिखित कार्डधारक की जानकारी को कार्डधारक की मंजूरी के साथ या उसके बिना निम्नलिखित चरणों में प्रकट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

अनु. क्र.	चरण	प्रकट की जानेवाली जानकारी
1.	मार्केटिंग के दौरान	शुल्क और प्रभार
2.	आवेदन पर	मुख्य तथ्य विवरण जिसमें शुल्क और प्रभार, निकासी सीमा और ग्राहक की इच्छानुसार किसी भी अतिरिक्त जानकारी से संबंधित जानकारी शामिल है।
3.	वेलकम किट	फीस और शुल्क, निकासी सीमा, बिलिंग, डिफॉल्ट और परिस्थितियाँ, कार्ड सदस्यता की समाप्ति/निरस्तीकरण, कार्ड की हानि/चोरी/दुरुपयोग, शिकायत निवारण और मुआवजा ढांचा, प्रकटीकरण
4.	बिलिंग पर	फीस और शुल्क, निकासी सीमा, बिलिंग
5.	चालू आधार पर,	नियम और शर्तों में कोई बदलाव

बैंक अपने विवेकानुसार, ग्राहक की शिकायत, वसूली/लेनदेन पर विवाद आदि से संबंधित मामलों में कार्ड सदस्य और बैंक के प्रतिनिधि के बीच हुई विशिष्ट बातचीत को भी रिकॉर्ड कर सकता है।

### क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें :

क्षेत्रीय भाषाओं में एमआईटीसी के बारे में जानकारी के लिए कृपया [www.federalbank.co.in](http://www.federalbank.co.in) पर जाएं, उपलब्ध विकल्प 1) हिंदी 2) मलयालम 3) अंग्रेज़ी

कार्ड सदस्य एतद्वारा स्वीकार करता है कि [www.federalbank.co.in](http://www.federalbank.co.in) पर क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तों के अंग्रेजी संस्करण का प्रतिनिधि पाठ है। कार्ड सदस्य इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ के बीच किसी भी असंगतता की स्थिति में, अंग्रेजी में पाठ मान्य होगा और कार्ड सदस्य पर बाध्यकारी होगा।

### अस्वीकरण:

बैंक अपने विवेकानुसार, अपने उत्पादों के संबंध में, आवश्यकतानुसार या आवश्यक शर्तों पर, बाहरी सेवा प्रदाता/प्रदाताओं या एजेंट/एजेंटों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। कृपया ध्यान दें कि शुल्कों और फीसों पर नवीनतम जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।